ग्राम पंचायत चढियार, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चढियार, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति कुशला देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीता	01.04.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चढियार के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर	0.56
2	पैरा-4.3	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
3	पैरा-4.5	अनुदानों से अनियमित व्यय करना	0.81
4	पैरा-4.6	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना	-
4	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.58

5	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	4.89
6	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक /स्टोर का क्रय करना	-
7	पैरा-9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	-
8	पैरा-10	बजट प्राक्कलन तैयार न करना	-
9	पैरा-11	व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.42

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चढियार, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 10.04.17 से 17.04.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	04/2013	12/2013
2014-15	02/2015	02/2015
2015-16	06/2015	04/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चढियार, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 337 दिनांक 12.04.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 45610 (HGB) दिनांक 13.04.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत चढियार, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत चढियार, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2013-14	23391	6289	29680	27915	1765
2014-15	1765	18924	20689	32501	-11812
2015-16	-11812	3399	-8413	72149	-80562

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत चढियार, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	289296	6071216	6360512	6289235	71277
2014-15	71277	3983243	4054520	3842101	212419
2015-16	212419	3978728	4191147	3702575	488572

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹-80562

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹488572

कुल ₹408010

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹351545

अन्तर की राशि : ₹56465

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB– 41791	0
MNREGA, HGB– 20431	0
General, Own Source, HGB – 7831	296360
General, Own Source, KCCB – 7263	9684
IAY HGB – 93837	65
VKVNY –HGB-93891	21520
MP LAD HGB – 93855	3260
RAY HGB – 93846	0
SDP HGB – 93864	8198
IWDP HGB – 9328	1905
IWDP HGB – 7252	8904
Other HGB – 93916	1649
कुल राशि	**351545**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹0.56 लाख का अन्तर:-

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, 3rd SFC,TSC, एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय-2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹56465 का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 336 दिनांक 11.04.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं

की गई। अतः उक्त ₹56465 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत चढियार की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.4 जांच में पाया कि सामान्य रोकड़ वही व वॉटर शेड की रोकड़ वही अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 में दर्ज प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अब सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.5 अनुदानों से ₹0.81 लाख का अनियमित व्यय ;-

जांच में पाया कि स्वः स्त्रोत रोकड़ वही में अनुदानों को भी सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्त से अधिक व्यय किया गया था अर्थात अनुदानों से ₹80562 का अनियमित व्यय किया गया था, जिससे अनुदान जिस उदेश्य से पंचायत कार्य के लिए दिये गए थे उससे पंचायत को वंचित होना पड़ा । अतः स्वः स्त्रोत के व्यय अनुदानों की राशि से करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹80562 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.6 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.58 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रौत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के

रूप में हानि हुई तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरुद्ध रहे । अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹58155 की वसूली शेष थी ।

5 (1) गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	8470	10300	18770	0	18770
2014-15	18770	10660	29430	0	29430
2015-16	29430	10840	40270	0	40270

5 (2) दुकानों से किराया :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	3600	1440	5040	0	5040
2014-15	5040	1440	6480	0	6480
2015-16	6480	1440	7920	0	7920

पंचायत ने अपनी आय में बढ़ोतरी हेतु चार दुकानों का निर्माण किया था एवं पंचायत के लोगों को रोजगार हेतु ₹30 प्रति माह प्रति दुकान किराए पर दी गई थीं लेकिन जांच में पाया कि किराएदारों से किराये की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे एवं न ही किराये के अनुबंध पत्र तैयार किए गए थे। अतः दुकानों के अनुबंध पत्र तैयार करने के साथ-साथ नियमानुसार किराये की राशि को भी बढ़ाना सुनिश्चित करें ।

(3) जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में गृह कर के रूप में निम्नलिखित रसीदों से ₹9965 वसूली की गई थी लेकिन पंचायत के खाते में जमा नहीं किए गए थे। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 338 दिनांक 12.04.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

रसीद संख्या	अवधि	राशि
378903 से 378942	04.06.15 से 28.12.15	1065.00
378905	25.08.15	7250.00
378906	01.09.15	1000.00
378933	25.12.15	650.0
	कुल योग	**9965**

(4) जांच में पाया कि दिनांक 25.11.14 को रसीद संख्या 379951 से 379955 तक जारी की गई थी लेकिन इन रसीदों की कार्यालय प्रतिलिपि खाली थी जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उक्त रसीदों से कितनी राशि प्राप्त हुई थी एवं इन रसीदों से प्राप्त राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त वर्णित रसीदों से प्राप्त एवं जमा राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

6 अनुदान ₹4.89 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹488572 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर व्यय की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र॰सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	32 दिनांक 07/2013	Bill No. 135 Dated 19.06.13, M/s Kuldeep Kumar	ईंटें	32000.00	नि. सामुदायिक भवन पनेरा

2	76 दिनांक 12/2013	Bill No. - Dated -, M/s Kamal Chand	Carriage of cement & Sand	5125.00	नि. शमशान घाट व आराम घाट चौगण
3	77 दिनांक 12/2013	Bill No. 1225 Dated 07.12.13, M/s A.S. Traders	Trusses Material	25000.00	नि. सामुदायिक भवन ननबाद
4	77/03 दिनांक 12/2013	Bill No. 573 Dated 20.12.13, M/s Himalaya Spray Painter	Black Greynite Stone	3500.00	नि. सामुदायिक भवन चढ़ियार
5	77/04 दिनांक 12/2013	Bill No. 565 Dated 20.12.13, M/s Himalaya Spray Painter	Greynite Stone	3500.00	नि. महिला मण्डल भवन, ननबाद
6	77/05 दिनांक 12/2013	Bill No. 572 Dated 20.12.13, M/s Himalaya Spray Painter	Greynite Stone	3500.00	नि. महिला मण्डल भवन, जानस
7	96 दिनांक 17.02.15	Bill No. 5 Dated 27.01.15, M/s S. Bhardwaj Shuttering Work	निर्माण सामग्री	5712.00	नि. कमरा अमर लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, चढ़ियार
8	1 दिनांक 04/2015	Bill No. 150 Dated 22.03.15, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	20500.00	नि. रास्ता लंगा से जानस
9	24 दिनांक 23.04.15	Bill No. 164 Dated -, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	9400.00	नि. R/Wall आँगनबाड़ी जानस के पास
10	30 दिनांक 08.05.15	Bill No. 1949 Dated 02.03.15, M/s A.S.Traders	स्टील	24894.00	नि. कमरा अमर लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, चढ़ियार
11	45 दिनांक 07.08.15	Bill No. 167 Dated 09.05.15, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	17800.00	नि. रास्ता लंगा से जानस
	Water Shed				
12	6 दिनांक 25.08.14	Bill No. - Dated - , M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	17450.00	नि. जल संग्रहण टैंक
13	2 दिनांक 30.04.15	Bill No. 128 Dated 30.04.15, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	16100.00	नि. चैक डैम धोबड़ नाला
14	3 दिनांक 30.04.15	Bill No. 127 Dated 30.04.15, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	28700.00	नि. चैक डैम चांगण
15	4 दिनांक 30.04.15	Bill No. 298 Dated 25.04.15, M/s Sanjay Kumar	निर्माण सामग्री	25000.00	नि. क्रेट बाल, ननबाद

9 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना व उपयोग लेखा तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमनुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

11 व्यय ₹0.42 लाख से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित राशियां खाता संख्या KCCB-7831 से विभिन्न तिथियों को आहारित की गई थीं लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹41883 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	**निधि का नाम**	**चैक संख्या / दिनांक**	**राशि**
1.	General Cash Book	Withdrawl on Dated 27.11.14	20000.00
2.	-do-	Withdrawl on Dated 21.11.15	10000.00
3.	-do-	Withdrawl on Dated 18.03.16	3381.00
4.	Water Shed	Withdrawl vide cheque No. 336528 Dated 26.08.14 (Cash Book P-33)	8502.00
कुल राशि			**41883.00**

12 52 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग :-

(i) माप पुस्तिका 5170 के पृष्ठ 100 पर निर्माण कार्य " C/o Land protection work Raman, Ranjeet etc " की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में

कुल 83 बैग सीमेंट का उपभोग किया गया था लेकिन सीमेंट भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 7 व 8 पर दिनांक 08.06.2015 व 20.07.15 में उक्त कार्य के लिए कुल 85 बैग सीमेंट के जारी किए गए थे । अर्थात उक्त कार्य के लिए 2 बैग सीमेंट अधिक जारी किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में नियमों के अनुसार सीमेंट बैग के क्रय की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी एवं न ही यह दर्शाया गया था कि क्रय किए गए सीमेंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जिससे सीमेंट के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः नियमों के अनुसार सीमेंट के क्रय के इन्द्राज एवं निर्गमन की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करें । चयनित माहों में क्रय की गई सीमेंट बैग की मात्रा का विवरण निम्न लिखित है :-

क्र. सं.	वाउचर संख्या	क्रय सीमेंट का विवरण	सीमेंट की मात्रा
1	84 दिनांक 14.02.15	Bill No. 128730 Dated - M/s HPS Civil Supply	50 बैग सीमेंट

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. दुकानों के किराये का रख-रखाव न रखना ।
5. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
6. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
7. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
8. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)111/2017-खण्ड-1-5925-5928 दिनाँक,29.09.17 शिमला-09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत चढियार, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881